न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 56 / 2015

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 सतपाल पुत्र लादूराम।
2 सुमेर सिंह पुत्र लादूराम।
3 गौरा देवी बेवा लादूराम।
4 अनकोरी पुत्री लादूराम।
5 कुलवंत सिंह पुत्र सरजीत सिंह।
6 भगवती उर्फ भागोती पत्नी सरजीत सिंह।
7 सुनिता पुत्री सरजीत सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।
2 मूलचन्द पुत्र लादूराम।
3 वेदकोर बेवा भगवान सिंह।
4 राकेश पुत्र भगवान सिंह।
5 राजेश पुत्र भगवान सिंह।
6 राजबाला पुत्री भगवान सिंह।
7 प्रियंका पुत्री भगवान सिंह।
8 करण सिंह पुत्र लादूराम।
9 नरेश पुत्र गंगाराम।
10 रोहिताश पुत्र गंगाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

11 संतोष पुत्री गंगाराम।
12 अनिता पुत्री गंगाराम।
13 सजना पुत्री गंगाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
14 अनिल पुत्र रुकमा।
15 सुनिल पुत्र रुकमा।
16 लिछमा पुत्री लादूराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रायपुर जाटान हाल निवासी पालोता का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
17 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा घरड़ाना खुर्द जरिये शाखा प्रबंधक।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.15 जरिये उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुंझुनू राज. आर.ए.एस. सोहन राम चौधरी राजस्व प्रकरण संख्या 233/2013 मूलचन्द व अन्य बनाम सतपाल व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपील पेश है

उपस्थित

1. श्री कुलवन्द सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

Lano
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

—निर्णय—

दिनांकः— 7-3-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा दावा संख्या 233/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/प्रत्यार्थीगण संख्या 2,3,4,5,6,7, ने एक दावा खाता विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु ग्राम रायपुर जाटान पटवार हल्का घरडानाकलां तहसील बुहाना स्थित जमाबंदी संवत 2067 लगायत 2070 के खाता संख्या 91 के खसरा नम्बर 72 रकबा 1.14 हैक्टेयर खसरा नम्बर 79 रकबा 0.75 हैक्टेयर खसरा नम्बर 80 रकबा 0.06 हैक्टेयर खसरा नम्बर 81 रकबा 1.60 हैक्टेयर खसरा नम्बर 82 रकबा 0.03 हैक्टेयर खसरा नम्बर 114 रकबा 0.16 हैक्टेयर खसरा नम्बर 127 रकबा 0.91 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 4.65 हैक्टेयर की भूमि बाबत बतौर संयुक्त खातेदार काश्तकार पेश किया जिसमे खातेदार लादूराम पुत्र सेडू के देहान्त के बाद उसके वारिसान का 1/11 हिस्सा होते हुए खातेदार गंगाराम के देहान्त के उपरान्त उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 काबिज काश्त बताये एवं खातेदार सरजीत के देहान्त के बाद उसके हिस्से पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 11 काबिज काश्त है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का वादीगण तथा प्रतिवादीगण ने अपने पूर्वजो के समय से बाहमी बंटवारा कर रखा है, तथा बहामी बंटवारे के अनुसार अपने—अपने हिस्से पर काबिज काश्त है, खसरा नम्बर 80 में पूर्वजो के समय का एक कुआ बना हुआ है, जिसमें विद्युत कनेक्शन कृषि प्रयोजनार्थ लादुराम पुत्र सेडुराम के नाम खाता संख्या 205223050129 पर 15 एच.पी. का है। वादीगण के कुए पर जाने का एक रास्ता उसके पिता/पितामह लादूराम के समय से

Lonio
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

गौचर भूमि खसरा नम्बर 77 से होकर खातेदारी भूमि 79 की उतरी मियाल के सहारे आगे खसरा नम्बर 81 के उत्तरी–पूर्वी कोने से होकर खसरा नम्बर 80 में बने कुएं पर जाना बताया जो कि 12 फुट का चौडा रास्ता बताया है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 77 में रास्ते पर ढारे छप्पर ईंट भटी आदि बना लिये जाकर वादीगण को कुए पर जाने में बाधा कारित करना व वादीगण को उनके हिस्से का कुआं नही चलाने देने का व फसल की सिंचाई करने में रूकावट पैदा करने के अभिकथन किये गये वाके ग्राम रायपुर जाटान पटवार हल्का घरडाना कलां तहसील बुहाना स्थित जमाबंदी सम्वत 2067 लगायत 2070 के खाता संख्या 91 के खसरा नम्बर 72 रकबा 1.14 हैक्टेयर खसरा नम्बर 79 रकबा 0.75 हैक्टेयर खसरा नम्बर 80 रकबा 0.06 हैक्टेयर खसरा नम्बर 81 रकबा 1.60 हैक्टेयर खसरा नम्बर 82 रकबा 0.03 हैक्टेयर खसरा नम्बर 114 रकबा 0.16 हैक्टेयर खसरा नम्बर 127 रकबा 0.91 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 4.65 हैक्टेयर का कुआं खसरा नम्बर 80 में जाने के लिए रास्ते कायम करते हुए खाता विभाजन किया जाकर वादी संख्या 1 के 1/11 हिस्से की भूमि का वादी संख्या 2 लगायत 6 के 1/11 हिस्से की भूमि का खाता विभाजन किया जाकर अलहदा खाता व लगान कायम किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध फरमाया जाने की वादीगण को उनके पूर्वजो के समय से बने रास्ते से कुए पर आने जाने में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट पैदा ना करें तथा वादीगण को उनके हिस्सेनुसार कुआ चलाने व उनके हिस्से की भूमि में सिचाई करने में किसी प्रकार की बाधा पैदा ना करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वंय करे ना ही अपने परिजनो व अनुचरो आदि से कराने की वाद खर्च व अनुतोष सहित प्रार्थना की दिनांकित 22.01.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत आदेश 7 नियम

11 पेश किया गया जो कि दिनांकित 07.11.2014 को खारिज किया जाकर आगे कोस्ट पर भी जवाब देह नही करके दिनांक 13.12.2014 को नीयत कर दिया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा उनके अधिवक्ता को बिना सुने व जानकारी आदेश पारित कर दिये वादीगण राजस्व उच्च अधिकारियों से सांठ–गाठ रखने वाले व्यक्ति है जो उक्त पत्रावली में बिना कोई आधार व तथ्य रिकार्ड कर लाये, इस बाद में पीठासीन अधिकारी व रीडर से सांठ–गाठ से प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण को बिना सुने व अवसर दिये मात्र प्रकरण को वादीगण के अनुरूप निस्तारित करने पर आमदा रहे है, एवं अपीलार्थीगण को हमेशा गलत तारीख पेशी बताकर बिना समुचित सुनवाई के विधि व तथ्यों से विपरित जाकर निष्पादित कर निर्णित व डिक्री दिनांकित 11.05.2015 को किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने हमारे द्वारा कोई सहमती नही दी गई है। विचारण न्यायालय ने मनमर्जी से निर्णय पारित किया है विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुने बिना मनमर्जी से तारिख पेशी नियत का निर्णय पारित कर दिया गया है। अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि यह अपील अन्तिम डिकी के नाम 11.05.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्राथमिक डिकी दिनांक 24.12.2014 की कोई अपील प्रस्तुत नही हुई है। विभाजन प्रस्ताव के विरूद्व कोई ऐतराज प्रस्तुत नही किया है। राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय के विरूद्व अपील पोषणीय नही है। अपने कथनों के समर्थन

भू-प्रबन्ध अधि...
पदेन राजस्व अपील ...
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

में आर.आर.टी. 2018 ।। पेज 1341–1485 प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 22.12.2014 को प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्व प्राथमिक डिक्री जारी की गई है एवं विचाराधीन निर्णय से अन्तिम डिक्री जारी की गई है। न्यायालय की आदेशिका से यह कही जाहिर नही होता है कि अपीलांट की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है, विभाजन प्रस्ताव तैयार करने की सूचना अपीलांट को दी गई है, अपीलांट को ऐतराज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में पारित किया जाना नही पाया जाता है फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई एवं ऐतराज का पर्याप्त अवसर देकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 7-3-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

7/3/19

(करतार सिंह पूनियां)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर